न्यायालय कलेक्टर, जिला–सीधी म0प्र0

प्रकरण कमांक /0001/ अ–19(3) / 2020–21

वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सीधी(म0प्र0)।
द्वारा:– कार्यालय महाप्रबंधक म0प्र0 सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई। ....आवेदक।

बनाम

मध्य प्रदेश शासन..अनावेदक।

न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी

आदेश

(दिनांक, 29 जुलाई 2020 को पारित)

1. महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण परियोंजना कियान्वयन इकाई सीधी के पत्र कमांक /1386/तकं.ग्रासप्रा./2020 सीधी दिनांक 11.06.2020 प्रेषित कर नवीन सड़क निर्माण ग्राम मयापुर, खुटेली, लौआर रोड से बिछरी के वन क्षेत्र से गुजरने वाले भागो मे डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने हेतु लेख किया गया ।

2. उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सिहावल से प्रतिवेदंन मंगाया गया। तहसीलदार बहरी के द्वारा ग्रामे मायापुर खुटेली तहसील बहरी की शासकीय आराजी कमांक 460 रकवा 23.11 हे0 में से 1.68हे0 भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिये इश्तहार का प्रकाशन करते हुये आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने पर म्याद अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

3. प्रस्तावित आराजी ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त किया गया । ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटेली जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 26.06.2020 को चयनित शासकीय आराजी कमांक 460 रकवा 23.11 हे0 में से 1.68हे0 में डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने हेतु लेख किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी सिहावल के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2020 में ग्राम मायापुर खुटेली तहसील बहरी की शासकीय आराजी कमांक 460 रकवा 23.11 हे0 में से 1.68हे0 भूमि डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध

Collector
Distt. Sidhi (M.P.)

कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने की अनुशंसा की गई है। प्रस्तावित रकवा को नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है ।

5. प्रकरण में संलग्न खसरा नकल वर्ष 2019–20 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम मायापुर खुटेली की आराजी कमांक 460 रकवा 23.11 हे0 म0प्र0 शासन मद अंकित अभिलेख है ।

6. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार, कमांक–2 की कण्डिका 5 में राज्य शासन के अन्य विभागों को भूमि अन्तरित किये जाने के लिये प्रावधानित किया गया है । प्रस्तावित भूमि खसरा कमांक 460 रकवा 23.11 हे0 में से 1.68हे0 बंटित नहीं की जा रही है, शासकीय विभाग को अन्तरित की जा रही है, जिससे बाजार मूल्य के अनुसार भूमि की कीमत नहीं ली जायेगी बल्कि निःशुल्क अन्तरित की जायेगी ।

7. अतएव उपखण्ड अधिकारी सिहावल के प्रस्ताव अनुसार तहसील बहरी के पटवारी हल्का खुटेली के ग्राम खुटेली की प्रस्तावित शासकीय आराजी 460 रकवा 23.11 हे0 में से अंश रकवा 1.68 हे0 भूमि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सीधी, जिला सीधी को निःशुल्क अन्तरित की जाती है।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
Collector
Distt. Sidhi (M.P.)
जिला–सीधी(म0प्र0)

पृष्टा0कमांक 0001 /अ–19(3)/2020–21 सीधी, दिनांक 29 जुलाई 2020

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डलाधिकारी, सीधी को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई सीधी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपखण्ड अधिकारी सिहावल।
4. तहसीलदार, बहरी की ओर सूचनार्थ। अभिलेख दुरूस्त कर खसरे की प्रति 07 दिवस के अंदर भेजे।

कलेक्टर
Collector
Distt. Sidhi (M.P.)
जिला–सीधी(म0प्र0)